UPBG050002802026

Misc. Civil Cases/85/2026

**PRAVEEN DHAMA Vs. JAISINGH AND OTHERS**

न्यायालय: सिविल जज (सी0 डि0), बागपत।

उपस्थित: रत्नम् श्रीवास्तव, (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा)

जे0 ओ 0 कोड यू.पी. (2095)

विविध वाद संख्या– 85/ 2026

प्रवीण धामा बनाम जय सिंह धामा आदि।

**दिनांक–17.07.2026**

प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय में दिनांक 29.05.2026 को संस्थित किया गया था। न्यायालय के आदेश दिनांकित 29.05.2026 के द्वारा उक्त वाद अपर्याप्त न्यायशुल्क के कारण प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज किया गया था। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि मुंसरिम आख्या के अनुसार प्रार्थी द्वारा पर्याप्त न्यायशुल्क अदा कर दिया गया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में मुंसरिम आख्यानुसार पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद, मूलवाद के रूप में दर्ज हो। प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली मूलवाद की पत्रावली में समायोजित की जाये।

**(रत्नम् श्रीवास्तव)**
सिविल जज (सी०डि०),
बागपत।

01– वाद प्रस्तुत करने की तिथि–17.07.2026
02– वाद का प्रकार–दानपत्र शून्य घोषित कराने व अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु
03– वाद का मूल्यांकन–229600/–रूपये
04– वादी के अधिवक्ता–श्रीमती ममता
05– प्रतिवादी के अधिवक्ता–

**दिनांक–17.07.2026**

वादपत्र, शपथपत्र व प्रतिरूप वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया, वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मुन्सरिम की आख्या का परिशीलन किया।

वादी, प्रतिवादीगण पर तामील हेतु आदेश–05 नियम–09 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुरूप समस्त पैरवी सात दिवस के अन्दर उभय विधि में की जाये।

वादी द्वारा पैरवी पूर्ण किये जाने पर पत्रावली वास्ते प्रतिवादपत्र दिनांक 17.08.2026 एवं तनकीह हेतु दिनांक 24.08.2026 को पेश हो।

**(रत्नम् श्रीवास्तव)**
सिविल जज (सी०डि०),
बागपत।

**दिनांक–17.07.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 8ग पर एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

वादी ने प्रस्तुत वाद, प्रतिवादीगण के विरुद्ध दानपत्र शून्य घोषित कराने व अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया है। वादी की ओर से किये गये कथनों एवं प्रस्तुत प्रपत्रों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में प्रतिवादीगण को बिना सुने एकपक्षीय रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का आधार पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण को सुना जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।

अतः प्रतिवादीगण को प्रार्थनापत्र 8ग पर आपत्ति हेतु नोटिस जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थनापत्र 8ग दिनांक 31.07.2026 को पेश हो। वादी आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे।

**(रत्नम् श्रीवास्तव)**
सिविल जज (सी०डि०),
बागपत।